

39

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

सुदमा नम्बर 228/2019

दायर दिनांक-20-11-2019

1. धोलूराम उर्फ अजय कुमार पुत्र श्री प्रभातीलाल उम्र 35 वर्ष
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिश चन्द्र उम्र 35 वर्ष जाति चेजारा निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
3. पवन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लोहारगल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

- वादीगण

बनाम

1. कविता देवी पुत्री प्रभातीलाल
2. मूलकी देवी पत्नी प्रभातीलाल
3. राजकुमार पुत्र प्रभातीलाल
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभातीलाल
5. श्रवण कुमार पुत्र प्रभातीलाल
6. प्रहलाद पुत्र बालू जाति चेजारा निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
7. नौरंगी पुत्र बालू जाति चेजारा निवासी सिंधानिया फार्म हाउस, गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
8. राजस्थान-सरकार जरिये भूमिधाकर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

वकील वादी : श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादी : - श्री विकास सैनी

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन
निर्णय

दिनांक : 04-03-2021

वाद वादी दिनांक 26.02.2020 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोक़ा कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2020/1628 दिनांक 26.11.2020 प्रस्तुत करने पर वहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम रामपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 172 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 783 रकबा 1.21 हेक्टेयर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-


1. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783 रकबा 0.3025 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.935 का राजकुमार, विजेन्द्र कुमार, श्रवण कुमार, धोलूराम पुत्र प्रभातीलाल जाति चेजारा साकिन देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/4 रकबा 0.3025 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.935 का नौरंगी देवी पत्नी भोलाराम जाति माली साकिन देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/3 रकबा 0.1588 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.490 का पवन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)



- 40
4. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/1 रकबा 0.3025 हैक्टर किरम बारानी द्वितीय लगान 0.935 का प्रहलाद पुत्र बालू जाति चेजारा देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 5. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/2 रकबा 0.1437 हैक्टर किरम बारानी द्वितीय लगान 0.444 का सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिशचन्द्र जाति चेजारा साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलिय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


ए. श्रीमती शर्मा (फा. ट्रे.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुझुनू

41

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
 अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
 श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ.

दावा बाबत वंटवारा

मुकदमा नम्बर 232/2016 (धोलूराम उर्फ अजय वगैरह बनाम कविता देवी वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04-03-2021 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम रामपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 172 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 783 रकबा 1.21 हेक्टेयर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783 रकबा 0.3025 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.935 का राजकुमार, विजेन्द्र कुमार, श्रवण कुमार, धोलूराम पुत्र प्रमातीलाल जाति चेजारा साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/4 रकबा 0.3025 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.935 का नौरंगी देवी पत्नी भोलाराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/3 रकबा 0.1588 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.490 का पवन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/1 रकबा 0.3025 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.935 का प्रहलाद पुत्र बालू जाति चेजारा देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 783/2 रकबा 0.1437 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.444 का सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिशचन्द्र जाति चेजारा साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबल्लिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04-03-2021 को जारी की गई।


 (दमयंती कंवर)
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 नवलगढ
 (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्धुनू

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमीश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00